न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 46/22 (वाद)

GCMS :– 2022/113

1. श्रीमती कस्तुरी पुत्री गोटु जी मेघवाल निवासी मेघवालों का मौहल्ला, कानोड, जिला उदयपुर राज0।

...........प्रार्थीया

बनाम्

1. श्री हेमन्त धींग पिता मोहनलाल जी धींग, निवासी कानोड, जिला उदयपुर राज0।

..............विपक्षी

उपस्थित–1. श्री काशीराम, अधिवक्ता प्रार्थी।
2 श्री प्रफूल्ल कुमार जैन. अधिवकता विपक्षी।

वाद अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 18.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम कानोड, चक ए, पटवार हल्का कानोड, भू अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र कानोड, तह. कानोड, जिला उदयपुर में होकर उक्त कृषि भूमि के खाता संख्या नया 131 पुराना 742 होकर आराजी संख्या 3734, किता 1 रकबा 0.0800 है। उक्त कृषि भूमि मैं एवं मुझ प्रार्थीया की माता श्रीमती सोहनी बाई खातेदार है। सोहनी बाई की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद में प्रार्थीया गोटु जी मेघवाल की एक मात्र वारिसान है। यह कि प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है और प्रार्थीया की उक्त भूमि पर विपक्षी द्वारा उक्त जमीन को हडपने की नीयत से और कब्जा करने की नीयत से कब्जा कर लिया है। जिस पर मुझ प्रार्थीया ने विपक्षी को कई बार उक्त कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने से रोकना चाहा तो विपक्षी और उसके पुत्रों द्वारा मुझ प्रार्थीया को जातिगत रूप से प्रताडित कर, अपमानित किया गया।
2. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की खातेदार की जमीन पर कोई [illegible]ति का व्यक्ति अतिक्रमण या कब्जा नहीं कर सकता। फिर भी विपक्षी अपनी दादागिरी [illegible] अपनी राजनीतिक पहुंच और धनबल का दुरूपयोग कर मुझ प्रार्थीया को अनुसूचित जाति की महिला होने [illegible] फायदा उठा विपक्षी द्वारा कलम संख्या 1 में वर्णित आरा[illegible]त पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। यह कि प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है और विपक्षी सामान्य जाति का व्यक्ति है, और विपक्षी द्वारा अपने धन, बल राजनीतिक पहुंच व सामान्य जाति का दुरपयोग कर प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुये कब्जा कर लिया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जिसे न्यायहित में खाली कराया जाना आवश्यक है और कब्जा प्रार्थीया को सुपुर्द कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि से विपक्षी का अवैध अतिक्रमण व कब्जा हटा कर प्रार्थीया की कृषि भूमि प्रार्थीया को दिलाई जावें और विपक्षी द्वारा प्रार्थीया की जमीन पर जो कब्जा/अतिक्रमण कर रखा है उसके लिए धारा 183 बी आरटी.एक्ट के तहत कार्यवाही कराई जाकर विपक्षी को सजा दिलाई जावें।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी को प्रार्थीया के पिता गोटीलाल पिता वाला जी मेघवाल निवासी कानोड ने सक्षम भूमि रूपान्तरण अधिकारी, वल्लभनगर से दिनांक 16.06.1998 को पट्टा संख्या 50/98 के द्वारा वाणिज्यिक उपयोग की भूमि में संपरिवर्तित करवा ली उसके बाद दिनांक 07.01.2010 को (1) विपक्षी की धमपत्नी श्रीमती बदाम बाई एवं विपक्षी के पुत्र (2) राजेन्द्र कुंमार, (3) अनिल कुमार एवं (4) संजय कुमार को चार अलग-अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के द्वारा विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, सभी विक्रय पत्रों पर गोटीलाल जी की पत्नी श्रीमती सोहनीवाई व पुत्री कस्तुरी देवी के हस्ताक्षर हैं। राजस्व अधिकारी पटवारी/इंस्पेक्टर के द्वारा राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि को वाणिज्यिक उपयोग हेतु संपरिवर्तित हो जाने की एंट्री न लिख कर यदि प्रार्थीया का नाम लिख दिया गया तो प्रार्थीया उसका लाभ प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि वाणिज्यिक दर्ज है। मौके पर न तो कृषि भूमि मौजूद है और न वहॉ पर कोई कृषि कार्य किया जा रहा हैं, न प्रार्थीया का कब्जा है उक्त भूमि का उपयोग 12 वर्ष से वाणिज्यिक कार्य हेतु किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 25000 रूपये के विशेष व्यय से खारिज फरमाया जाये।

[illegible] हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में उभय पक्ष की [illegible]स को सुना। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत [illegible]तुत कर विपक्षी द्वारा अतिक्रमण करना बताया जिससे विपक्षी का अवैध अतिक्रमण हटाये जाने का निवेदन किया। विपक्षी [illegible] जवाब में बताया कि वादग्रस्त आराजीयात को प्रार्थीया के पिता द्वारा सक्षम [illegible] रूपान्तरण अधिकारी, वल्लभनगर से दिनांक 16.06.1998 को वाणिज्यिक [illegible] की भूमि [illegible] संपरिवर्तित करवा विपक्षी की पत्नी व पुत्र को विक्रय की गई जिसमें विपक्षी द्वारा [illegible] आराजीयात को वाणिज्यिक उपयोग में ली गई। वर्तमान में उक्त भूमि वाणिज्यिक रूप में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:08 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हमने पाया की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है

Scanned with OKEN Scanner

जिसका अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को न होकर तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में आता है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि न होकर वाणिज्यिक रूप में दर्ज है जिसका क्षैत्राधिकार भी इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधिकार क्षैत्र में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का वाद अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner